इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124 ी

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2016—फाल्गुन 28, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2016

अधि. क्र. 05 एफ 1-2-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजन के लिए राशि के उपयोग के नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - ''3. आवंटित निधि के उद्देश्य.—इस निधि का गठन, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) द्वारा या उनके अधीन नगरीय स्थानीय निकायों को उन्हें सौंपे गए अनिवार्य और ऐच्छिक कर्तव्यों के निर्वहन में समर्थ बनाने के उद्देश्य से किया गया है. यह विनिश्चित किया गया है कि नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग को शीर्षक ''मूलभूत सेवाएं (वाणिज्यिक कर, राज्य वित्त आयोग

तथा सड़कों का पुनिर्माण)'' के अधीन बजट के गैर योजना शीर्ष में उपलब्ध कराई गई निधि में से 20% (बीस प्रतिशत) राशि राज्य स्तर पर रखी जाए तथा शेष राशि, विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर, राज्य सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुरूप नगरीय स्थानीय निकायों को आवंटित की जाए. उस निधि को, जो कि राज्य स्तर पर रखी गई है, विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिए, छोटे तथा मध्यम शहरों की जल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित वास्तविक लागत एवं अनुमोदित राशि के अन्तर की प्रतिपूर्ति करने के लिए तथा नगरीय स्थानीय निकायों को कालोनियों को नियमित करने हेतु अधोसंरचना विकास के लिए अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए व्यय किया जाएगा. वर्ष के अंत में, यदि फिर भी कोई राशि बची रहती है, तो वह राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को आवंटित कर दी जाएगी.''.

- (2) नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - "5. बजट.—नियम 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निधि की 20% (बीस प्रतिशत) राशि आरक्षित रखी जाएगी जो कि नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के गैर योजना बजट शीर्ष में उपलब्ध कराई गई है, जिसमें विभाग के बजट प्रावधान के आयोजनेत्तर मद में उपलब्ध कराई गई है, जिसमें तीन उपशीर्ष यथा मूलभूत सेवाएं (वाणिज्यिक कर पर 10% अधिभार), राज्य वित्त आयोग तथा सड़कों का पुनर्निर्माण तथा मरम्मत अंतर्विष्ट है. इस आरक्षित निधि को नगरीय स्थानीय निकायों की आकस्मिक या विशेष आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिए, छोटे तथा मध्यम शहरों की जल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए, के लिए अपेक्षित वास्तविक लागत एवं अनुमोदित राशि के अन्तर की प्रतिपूर्ति करने के लिए तथा नगरीय स्थानीय निकायों को, कालोनियों को नियमित करने हेतु अधोसंरचना विकास के लिए अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए व्यय किया जाएगा.''.
- (3) नियम 6 में, उपनियम (1) में,—
 - (क) खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - "(दो) एक वर्ष की कालाविध के दौरान नगर परिषद् को अधिकतम एक करोड़ रुपए तथा नगरपालिका को अधिकतम एक करोड़ पचास लाख रुपए तथा पांच लाख तक की जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों को अधिकतम दो करोड़ पचास लाख रुपए तथा पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों को अधिकतम पांच करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी."
 - (ख) खण्ड (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 - ''(सात) राज्य स्तर पर रखी गई निधि की 20% (बीस प्रतिशत) राशि आकस्मिक एवं विशेष आवश्यकताओं के लिए उपरोक्त खण्ड (एक) से (छह) तक में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन आवंटित की जाएगी. निधि की शेष राशि छोटे तथा मध्यम शहरों की जल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित वास्तविक लागत एवं अनुमोदित राशि के अंतर की प्रतिपूर्ति करने तथा नगरीय स्थानीय निकाय के प्रस्ताव के आधार पर, जिसमें मैयर-इन-काउंसिल / प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल के संकल्प भी सम्मिलत हैं, नगरीय निकायों को, कालोनियों को नियमित करने हेतु अधोसंरचना विकास के लिए अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार आवंटित की जाएगी.''.

Not. No. 05-F1-2-2016-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalties Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Utilization of Funds for Contingent and Specific Purposes in the Urban Local Bodies Rules, 2006, namely

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) For rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—
 - "3. Objects of allocated fund.—This fund has been constituted with the objects to enable the Urban Local Bodies for discharging their mandatory and voluntary duties entrusted by or under the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961). It has been decided that out of the fund provided in the non-plan head of the budget to the Urban Administration and Development Department Under the Head "Basic Services (Commercial Tax, State Finance Commission and Reconstruction of Road)", 20% (Twenty percent) amount of the fund shall be retained at the State level and the remaining amount shall be allotted to the Urban Local Bodies for contingent and specific purposes on the recommendation of the State Finance Commission in conformity wirh the decision taken by the State Government. The fund which is retained at the State level shall be expended for contingent and specific purposes for compensating the difference of the actual cost and approved amount required for completing water supply schemes of Small and Medium Towns and to provide grant to Urban Local Bodies for infrastructure development to regularize the colonies. If any amount still remain in hand at the end of the year then the same shall be allotted to the Urban Local Bodies by the State Government."
- (2) For rule 5, the following rule shall be substituted, namely :-
 - "5. **Budget.**—For the fulfilment of the objects specified in rule 3, the amount of 20% (twenty percent) of the fund shall be reserved, which has been provided in the non-plan head. of budget of the Urban Administration and Development Department which contains three sub-heads viz Basic Services, (10% surcharge on commercial tax.), State Finance Commission and Reconstruction and Repair of Roads. This reserved fund shall be expended for the purpose of contingent or specific requirements of Urban Local Bodies, for compensating the difference of the actual cost and approved amount required for completing water supply schemes of Small and Medium Towns and to provide grant to Urban Local Bodies for infrastructure development to regularize the colonies."
- (3) In rule 6, in sub-rule (1),—
 - (a) For clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—
 - The maximum amount of rupees one crore for Nagar Parishad and rupees one crore fifty lac to Municipality and rupees two crore fifty lac to Municipal Corporations having

population up to five lac and of rupees five crore to Municipal Corporations having population more than five lac may be issued during the period of one year.";

- (b) For clause (vii), the following clause shall be substituted, namely :—
 - "(vii) The 20% (twenty percent) amount of fund kept at State level amount shall be allotted for contingent and specific requirements under the terms and conditions specified in clauses (i) to (vi) above and the remained amount of fund shall be allotted for compensating the difference of the actual cost and approved amount required for completing water supply schemes of Small and Medium Towns and to provide grant to Urban Local Bodies for infrastructure development to regularize the colonies as per directions of the State Government on the basis of the proposal of Urban Local Body including the resolution of Mayor-in-Council / President-in-Council."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, अपर सचिव.